



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220271  
CG-DL-E-30062020-220271

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1903]  
No. 1903]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

(आय-कर)

का.आ. 2148(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9क की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते यह अधिसूचित करती है कि उक्त धारा के खंड (ड.), खंड (च) और खंड (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग-I विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता द्वारा गठित विनिधान की दशा में लागू नहीं होंगे।

2. यह अधिसूचना 23 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 41/2020/फा. सं. 142/15/2015-टीपीएल-भाग (1)]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है।